**दिनांक–13.02.2025 को ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना एवं गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत ली जाने वाली योजना पर विचार–विमर्श के लिए VC (Hybrid Mode) के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

**कार्यवाही–**

सर्वप्रथम सभी को जानकारी दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभाग को कुल 170.00 करोड़ रू0 संसूचित है। जिसमें से 60.50 करोड़ विकास शाखा (मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम– 49.00 करोड़ रू0, गन्ना यंत्रिकरण योजना–10.00 करोड़ रू0 एवं प्रचार–प्रसार योजना–1.50 करोड़ रू0), चीनी मिलों के चाहरदिवारी निर्माण हेतु 1.40 करोड़ रू0 तथा 108.10 करोड़ रू0 रेगुलेटरी शाखा हेतु निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं पर घटकवार विचार–विमर्श किया गया, जो निम्नवत् है–

**1. राज्य में प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन हेतु 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से भौतिक लक्ष्य 35 हे0 है। जिसमें से IISR, Lucknow को 29 हे0 तथा SRI, Pusa को 06 हे0 स्वीकृत है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान लक्ष्य 35 हे0 को 100 हे0 तक बढ़ाये जाने पर चर्चा किया गया। इसपर प्रभारी पदाधिकारी, IISR, Motipur Centre डा0 आशुतोष मल्ल द्वारा कहा गया कि चीनी मिल के अलावे कोई FPO हो तो उस माध्यम से भी खेत की उपलब्धता को विस्तारित कर IISR, Lucknow द्वारा प्रजनक बीज का उत्पादन कराया जा सकता है। नरकटियागंज के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि इस हेतु कुछ प्रगतिशील ईच्छुक किसान का भी सहयोग संस्थान द्वारा लिये जाने पर विचार किया जा सकता है। इस हेतु न्यूक्लियस बीज उत्पादन को भी अगरयोजना में शामिल करने की आवश्यकता हो तो इसपर डा0 मल्ल को प्रस्ताव देने तथा प्रजनक बीज उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि करने पर दोनों संस्थान को आपस में समन्वय कर एक प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**2. आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम –**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आधार बीज उत्पादन मद में 60,000 रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से भौतिक लक्ष्य 350 हे0 स्वीकृत है। इसमें वृद्धि करने पर चर्चा किया गया। इस क्रम में हरिनगर के महाप्रबंधक (ईख) श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि आधार बीज उत्पादन हेतु STT (Spaced Transplanting Technique) का उपयोग किया जा सकता है जिससे प्रति हेक्टेयर बीज दर में कमी होगा एवं कम बीज में अधिक रकवा आच्छादित हो सकेगा। इसपर डा0 मल्ल, SRI, Pusa एवं श्री शर्मा को संयुक्त रूप से विचार कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही सामान्य गन्ना क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन नहीं करने का अनुरोध किया गया ताकि Mixing न हो।

**3. प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम–**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस कार्यक्रम अंतर्गत गत वर्ष स्वीकृत प्रोत्साहन राशि 50 रू0 प्रति क्वींटल में वृद्धि करते हुए इसे 100 रू0 प्रति क्वींटल की दर से करने पर चीनी मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोघ किया गया।

**4. प्रमाणित बीज क्रय अनुदान–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस कार्यक्रम अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 6,20,000 क्वींटल स्वीकृत है। वर्तमान लक्ष्य को 18–20 लाख क्वींटल तक वृद्धि किये जाने पर चर्चा किया गया। इस क्रम में निदेशक, SRI, Pusa द्वारा कहा गया कि CS-1 एवं CS-2 तैयार कर सकते हैं, जिसमें Parent CS-1 होगा। इसपर ईखायुक्त द्वारा CS-1 एवं CS-2 के अलावे सत्यापित गन्ना बीज को रखने का सुझाव दिया गया, जिसपर सभी के द्वारा सहमति व्यक्त किया गया। इस प्रकार आगामी वर्ष में इस मद में गन्ना बीज वितरण में 03 श्रेणी यथा–CS-1, CS-2 एवं सत्यापित गन्ना बीज (Truthful Seed) को रखने पर सहमति हुई। गन्ना बीज पर क्रय अनुदान हेतु गत वर्ष में स्वीकृत अनुदान के दर सामान्य जाति हेतु 210 रू0/क्वींटल एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 240 रू0/क्वींटल ही रखने पर चीनी मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

**5. गन्ना के साथ अन्य फसलों की अंतरवर्ती खेती–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती हेतु अन्य फसलों यथा–मसूर/राई/सरसों एवं मूंग शामिल है। इसके अतिरिक्त आलू को शामिल करने का अनुरोध किया गया, जिसपर निदेशक, SRI, Pusa द्वारा कहा गया कि आलू के प्रमाणित बीज की समस्या है। आलू अनुसंधान संस्थान से सिमित मात्रा में बीज प्राप्त हो सकता है। सोसायटी बनाकर आलू का बीज उत्पादन अगर कराया जाय तो बीज की उपलब्धता हो सकती है। इसपर नरकटियागंज के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र में भी आलू बीज का उत्पादन कराया जा सकता है। ईखायुक्त द्वारा सभी को बिहार राज्य बीज निगम के अलावे भी अन्य संस्थान यथा–राष्ट्रीय बीज निगम, SRI, Pusa का सहयोग लेने तथा आगामी वर्ष हेतु संभावित लक्ष्य का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

**6. कीटनाशक दवा के प्रयोग पर अनुदान एवं कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) मद –**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस कार्यक्रम अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 10000 हे0 (कीटनाशक दवा) एवं 2000 हे0 (कार्बनिक उर्वरक) स्वीकृत है। वर्तमान लक्ष्य में वृद्धि किये जाने पर चर्चा किया गया। नरकटियागंज के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) के परिवहन में समस्या है। कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) मद अंतर्गत 150 रू0 प्रति क्वीं0 (25 क्वीं0 प्रति हे0) अनुदान को बढ़ाकर 160 रू0 प्रति क्वीं0 करने का अनुरोध किया गया। इस योजना में बॉयो–फर्टीलाईजर एवं बॉयो–पेस्टीसाईड को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया।

**7. बड चिप/सिंगल बड पद्धति से प्रत्यक्षण–**

इस योजनांतर्गत बड चिप के मॉडल को व्यापक करने का निदेश दिया गया। हरिनगर चीनी मिल के महाप्रबंधक श्री शर्मा द्वारा सिडलिंग तैयार करने वाले को भी 50 प्रतिशत अनुदान देने का अनुरोध किया गया। इसपर निदेश दिया गया कि नर्सरी की स्थापना करने वाले को प्रोत्साहित किया जाय तथा हर 02 गांव पर 01 नर्सरी हो। साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप चीनी मिलवार भौतिक लक्ष्य रखा जाय।

**8.** शेष सभी मदों में भी भौतिक लक्ष्य में वृद्धि करने का निदेश दिया गया। कुछ चीनी मिलों के प्रतिनिधि द्वारा मिट्टी जांच प्रयोगशाला पर अनुदान हेतु अनुरोध किया गया। योजनांतर्गत गन्ना प्रभेद के चयन पर निदेश दिया गया कि प्रभेद से संबंधित कोई भी सूचना/प्रस्ताव IISR, Lucknow/SRI, Pusa के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाय।

**9.** गन्ना यंत्रिकरण योजना अंतर्गत भी यंत्रवार प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य के साथ कोई यंत्र को शामिल करने या हटाना हो तो उसका प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। नये प्रस्तावित यंत्र का अनुमानित मूल्य भी अंकित किया जाय। इस क्रम में व्यक्तिगत किसान की श्रेणी में Mould Board Plough (reversible) एवं Disk Harrow को शामिल करने का अनुरोध किया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16299/2023– 249/ई०का० पटना, दिनांक– 24. फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– निदेशक, IISR, लखनऊ/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/सभी उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिल/सचिव, बिस्सा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16299/2023– 249/ई०का० पटना, दिनांक– 24. फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।